

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा सितंबर, 2016 माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. वर्ष 2016 के दौरान दि ल्ली/नई दि ल्ली स्थि त केंद्रीय सरकार के सभी प्रशासनि क कार्यालयों के लि ए ईदु-उल-जुदा (बकरीद) के अवसर पर अवकाश दि वस में परि वर्तन का आदेश का. जा. सं. 12/11/2016-जेसीए-2 द्वारा दि नांक 06.09.2016 को जारी कि या गया।
2. कार्मि क और प्रशि क्षण वि भाग (डीओपीटी) ने सीएसओआई, नई दि ल्ली में दि नांक 09.09.2016 को सहायक सचि वों (2014 बैच के आईएस अधि कारी) के साथ डॉ. बि वेक देबराय, सदस्य, नीति आयोग के परि संवाद सत्र का आयोजन कि या जि सका उद्देश्य देश के समक्ष सामाजि क-आर्थि क एवं वि कासात्मक चुनौति यों के बारे में और उसके लि ए कार्यनीति संबंधी नीति गत ढांचे के संबंध में बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि प्रदान करना है। सचि व, वि कलांग सशक्तीकरण वि भाग (दि व्यांगजन) ने भी राष्ट्रीय वि कलांगों के लि ए नीति एवं स्कीमों के बारे में भी परि संवाद कि या।
3. इस वि भाग के दि नांक 17.09.2016 की अधि सूचना सं. 39019/4/2016-स्था.(ख) द्वारा श्रीमती अलका सि रोही को अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के पद पर नि युक्त कि या गया है।
4. इस वि भाग ने 26.09.2016 से लागू अगले दो वर्षों की अवधि के लि ए गृह नगर एलटीसी के बदले में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), जम्मू एवं कश्मीर (जे ऍंड के) तथा अंडमान एवं नि कोबार द्वीप (ए ऍंड एन) की यात्रा करने के लि ए छुट्टी यात्रा रि यायत (एलटीसी) स्कीम को बढ़ाने के लि ए अनुदेश (दि नांक 19.09.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/3/2014-स्था.(ए-IV) द्वारा जारी कि ए।
5. 99.19 करोड रूपए की कुल लागत से 'तकनीकी एवं फारेंसि क सहायक एकल की स्थापना (टीएफएसयू)' के लि ए जारी योजनागत स्कीम के अन्तर्गत 'केंद्रीयकृत प्रौद्योगि की वर्टीकल (सीटीवी)'सीबीआई की स्थापना' के लि ए स्कीम को दि नांक 20.09.2016 के आदेश सं. 201/3/2010-एवीडी-II (पार्ट-1) द्वारा मंजूरी दी गई।
6. इस वि भाग ने ई-फाइल प्रणाली शुरू की है तथा सभी अनुभागों को दि नांक 19.09.2016 से ई-ऑफि स प्रणाली में कार्य प्रारंभ करने के लि ए नि देश दि या गया है।

7. भर्ती, प्रशिक्षण, करि यर वि कास, स्टाफ कल्याण तथा अन्य नागरिक केंद्रीत मुद्दों/शि कायतों संबंधी वि भाग मुद्दों का समाधान करने के लिए, मैंने सभी मंत्रालयों/वि भागों के सचिवों को एक अ.शा. पत्र लिखा था जिसे समें उनसे अनुरोध किया था कि वे लंबित मुद्दों पर एक टिप्पणी भेजें। इसके अतिरिक्त, समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण वि भाग (डीओपीटी) सभी मंत्रालयों/वि भागों के नवंबर, 2016 में साथ बैठकों में बैठकें आयोजित करेगा।
8. डीओपीटी ने केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी लोक प्राधिकारियों (पीए) को सम्मिलित करने के लिए सूचना के अधिकांश (आरटीआई) के प्रबंधन सूचना तंत्र (एमआईएस) वेब पोर्टल को विस्तार करने के लिए विभिन्न लोक प्राधिकारियों के अंतर्गत नोडल अधिकारियों के लिए दिनांक 27.09.2016 को एक कार्यशाला का आयोजन किया। 30.09.2016 तक की स्थिति के अनुसार, 804 लोक प्राधिकारियों को डीओपीटी आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के साथ जोड़ा गया है।
9. अधिकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय परिषद् (जेसीएम) की विसंगति समिति का गठन किया है ताकि इस विभाग के दिनांक 09.09.2016 के का.जा. सं. 11/2/2016-जेसीए-1 द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न हुई विसंगतियों का समाधान किया जा सके।
10. इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के सहयोग से डीओपीटी द्वारा दिनांक 21.09.2016 को सेना भवन, नई दिल्ली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था और 131 कर्मचारियों ने इस शिविर में रक्तदान किया।
11. विभिन्न न्यायालयी आदेशों के अनुसरण में, इस विभाग ने विवाहित पुत्र के संबंध में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के संबंध में मौजूदा अनुदेशों की आगे समीक्षा की है और स्पष्टीकरण दिनांक 05.09.2016 के का.जा. सं. 14014/02/2012-स्था.(घ) द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया।
12. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के अनुसरण में, इस विभाग ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (अर्थात् आईएएस, आईपीएस, आईएफएस) के वेतनमानों के संशोधन के लिए अधिसूचनाएं जारी की।
13. मणिपुर संवर्ग के आईएएस अधिकारियों के लिए संवर्ग समीक्षा को दिनांक 01.09.2016 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था।

14. केंद्र सरकार के सि वि लि यन कर्मचारि यों के लि ए संशोधि त सुनि शचि त करि यर प्रोन्नति स्कीम (एमएसीपीएस) पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सि फारि शों के कार्यान्वयन संबंधी अनुदेशों को दि नांक 28.09.2016 के का. जा. सं. 35034/3/2015-स्था.(घ) द्वारा जारी कि या गया था।
15. पीपीएस के ग्रेड में चक्रानुवर्तन (रोटेशनल) स्थानांतरण 16.09.2016 को जारी कि ये गए हैं।
16. 70 अनुभाग अधि कारि यों को तदर्थ आधार पर अवर सचि व ग्रेड में पदोन्नत कि या गया
17. 26 अवर सचि व को तदर्थ आधार पर उप सचि व ग्रेड में पदोन्नत कि या गया।
18. मंत्रालयों/वि भागों में इन्डोर/ओपन जि मनेजि यम स्थापि त करने के लि ए नई स्कीमें, केंद्रीय सि वि ल सेवा सांस्कृति क एवं क्रीडा बोर्ड (सीसीएससीएसबी) द्वारा शुरू की गई है।
19. वर्ष 2016-17 वर्ष के लि ए अन्तर-मंत्रालयीय तैराकी मीट का आयोजन 1 एवं 2 सि तंबर, 2016 को कि या गया।
20. मंत्रि मंडल नि युक्ति समि ति 'एसीसी) ने वि भि न्न अनुसूची 'क' एवं 'ख' केंद्रीय सार्वजनि क क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में 05 अध्यक्ष एवं प्रबंध नि देशक/प्रबंध नि देशक तथा 08 कार्यात्मक नि देशकों की नि युक्ति यों का अनुमोदन कि या है तथा दो आईपीएस के अधि कारि यों द्वारा केंद्र में आईजी/समकक्ष पदों को धारण करने के नामि कायन का केंद्रीय सार्वजनि क क्षेत्र उद्यम द्वारा अनुमोदन कि या गया था। इसके अति रि क्त, वि स्तार के चार (04) प्रस्तावों, मंत्री के लि ए नि जी सचि व की नि युक्ति संबंधी नौ (09) प्रस्तावों, मंत्रि यों के लि ए वि शेष कार्य अधि कारी (ओएसडी) की नि युक्ति के तीन (03) प्रस्तावों, कार्यकाल घटाने के एक (01) प्रस्ताव तथा समयपूर्व प्रत्यावर्तन के लि ए एक (01) प्रस्ताव का मंत्रि मंडल सचि व/एसीसी द्वारा अनुमोदन कि या गया है।
21. इस वि भाग ने दि नांक 09.09.2016 के कार्यालय जापन सं. 11013/2/2014-स्था.।।। द्वारा कार्यस्थल पर कार्यरत महि लाओं के यौन-उत्पीड़न के नि वारण संबंधी मामलों में शि कायत समि ति की अध्यक्ष की वरि ष्टता संबंधी स्पष्टीकरण जारी कि या है।